धारा 5 : आधार वर्ष राजस्व

(1) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के लिए आधार वर्ष राजस्व, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा आधार वर्ष के दौरान, संबद्ध राज्य या संघ द्वारा उद्‌गृहीत करों के मद्दे संगृहीत राजस्व और क्रमिक राज्य या संघ द्वारा अधिरोपित निम्नलिखित करों, जिन्हें माल और सेवा कर में सम्मिलित कर लिया गया है, के सम्बन्ध में शुद्ध प्रतिदायों का योग होगा, अर्थात् :–

संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबन्धों के प्रारम्भ से पूर्व,–

(क) मूल्य वर्धित कर, विक्रय कर, क्रय कर, संकर्म संविदा पर संगृहीत कर या संबद्ध राज्य द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 54 के अधीन उद्‌गृहीत कोई अन्य कर;

(ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन उद्‌गृहीत केन्द्रीय विक्रय कर;

(ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 52 के अधीन सम्बद्ध राज्य द्वारा उद्‌गृहीत प्रवेश कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या कोई अन्य कर;

(घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अधीन क्रमिक राज्य द्वारा उद्‌गृहीत भोग–विलास की वस्तुओं पर कर, जिसके अन्तर्गत मनोरंजन, आमोद–प्रमोद, दांव लगाने और जुआ खेलने पर कर, या कोई अन्य कर;

(ड.) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 55 के अधीन सम्बद्ध राज्य द्वारा उद्‌गृहीत विज्ञापन पर कर या कोई अन्य कर;

(च) संविधान के तत्कालीन अनुच्छेद 268 के अधीन औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर संघ द्वारा उद्‌गृहीत किन्तु सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा संगृहीत और प्रतिधारित उत्पाद–शुल्क;

(छ) उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–2 की प्रविष्टि 52, 54, 55 और 62 के साथ पठित प्रविष्टि 66 के अधीन उद्‌गृहीण कोई उपकर या अधिभार या फीस:

परन्तु निम्नलिखित करों के अधीन, किसी राज्य में आधार वर्ष के दौरान, संगृहीत राजस्व, शुद्ध प्रतिदायों को उस राज्य के लिए आधार वर्ष राजस्व की संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबन्धों के प्रवृत्त होने से पूर्व संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 54 के अधीन अधिनियमित किसी अधिनियम के अधीन कच्चे पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाईन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के विक्रय या क्रय पर उद्‌गृहीत कोई कर;

(ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन कच्चे पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाईन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के विक्रय या क्रय पर उद्गृहीत कर;

(ग) राज्य सरकार द्वारा कच्चे पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाईन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के विक्रय या क्रय पर अधिरोपित कोई उपकर;

(घ) संविधान (एक सौ एकवां संशोंधन) अधिनियम, 2016 के उपबन्धों के प्रवृत्त होने से पूर्व संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अधीन अधीनियमित किसी अधिनियम के अधीन राज्य द्वारा उद्गृहीत, किन्तु स्थानीय निकायों द्वारा संगृहीत मनोरंजन कर।

(2) जम्मू–कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में, आधार वर्ष राजस्व में आधार वर्ष के दौरान उक्त राज्य सरकार द्वारा सेवाओं के विक्रय पर संगृहीत कर की रकम सम्मिलित होगी।

(3) संविधान के अनुच्छेद 279क के खण्ड (4) के उपखण्ड (छ) में उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे विनिर्दिष्ट करों के सम्बन्ध में, राज्य में औद्योगिक विनिधान का संवर्धन करने के लिए उक्त राज्य सरकार द्वारा दी गई छूटों या परिहार के कारण छोड़ दिए गए राजस्व की रकम ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित की जाएगी।

(4) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के ऐसे अधिनियम, जिनके अधीन विनिर्दिष्ट कर, माल और सेवा कर में सम्मिलित किए गए हैं, वे होंगे, जो अधिसूचित किए जाएं।

(5) आधार वर्ष राजस्व की संगणना, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा यथा संपरीक्षित उस वर्ष में संगृहीत राजस्व के आंकड़ों और दिए गए शुद्ध प्रतिदायों के आधार पर उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के अनुसार की जाएगी।

(6) किसी राज्य के सम्बन्ध में, यदि उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) में उल्लिखित राजस्व का कोई भाग, सम्बन्धित राज्य की संचित निधि में जमा नहीं किया जाता है, तो वह ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित किया जाएगा।